

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com दूरभाष नं.0141-2711978, 2711938

क्रमांक: प. 135 /नि.अ.मा.वि./छात्रा. संचा./2022-23/3623

दूरभाष नं.0141-2711978, 2711938

जयपुर, दिनांक: 13/06/2022

विज्ञाप्ति

अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावासों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रण

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 की अवधि में प्रदेश के जिला मुख्यालयों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में संचालित किये जाने वाले राजकीय व प्रस्तावित अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश हेतु कक्षा 9 से उच्चतर कक्षाओं/पाठ्यक्रमों (विद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थाएं, व्यावसायिक संस्थाएं आदि) में अध्ययनरत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अल्पसंख्यक छात्रावासों में प्रवेश हेतु आवश्यक अहर्ताओं/दस्तावेजों का विवरण आवेदन-प्रपत्र में अंकित है। इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा आवेदन-प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट <https://minority.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र मय वांछित दस्तावेज संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में ही अंतिम तिथि दिनांक 15.07.2022 तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः जमा कराये जा सकते हैं अथवा संबंधित जिले की ई-मेल आई. डी. पर भी समस्त दस्तावेज सहित प्रेषित किये जा सकते हैं। संबंधित जिलों की ई-मेल आई. डी. का विवरण विभागीय वेबसाइट <https://minority.rajasthan.gov.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

राजकीय छात्रावास संचालन हेतु स्थानों का विवरण निम्नानुसार है:-

- जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास:-** मु0 अलवर, मु0 बाड़मेर, मु0 बीकानेर, मु0 चुरू, मु0 धौलपुर, मु0 जयपुर, मु0 झुंझुनू, मु0 जोधपुर, मु0 कोटा, मु0 नागौर, मु0 पाली, मु0 सवाई माधोपुर, मु0 श्रीगंगानगर, मु0 टोंक।
- जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास:-** मु0 अजमेर, मु0 अलवर, मु0 बाड़मेर, मु0 भीलवाड़ा, मु0 दौसा, मु0 जयपुर, मु0 जोधपुर, मु0 कोटा, मु0 नागौर।
- अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास:-** मसूदा (अजमेर), तिजारा (अलवर), किशनगढ़बास (अलवर), लक्ष्मणगढ़ (अलवर), रामगढ़ (अलवर), उमरैण (अलवर), चौहटन (बाड़मेर), गडरा रोड़ (बाड़मेर), पहाड़ी (कामा) (भरतपुर), कामा (भरतपुर), नगर (भरतपुर), सम (जैसलमेर), पोकरण ब्लॉक सांकड़ा (जैसलमेर), फलोदी (जोधपुर), मकराना (नागौर), लाडनू (नागौर), गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर), फतेहपुर (सीकर), रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर), अनुपगढ़ (श्रीगंगानगर)।
- अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक पर अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास:-** तिजारा (अलवर), किशनगढ़बास (अलवर), लक्ष्मणगढ़ (अलवर), रामगढ़ (अलवर), कामा (भरतपुर), नगर (भरतपुर), सीकरी (नगर, भरतपुर), सम (जैसलमेर), घडसाना (श्रीगंगानगर)।

उक्त के अतिरिक्त प्रस्तावित अनुदानित छात्रावासों के स्थानों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर देखें।

छात्रावासों के संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रण

उक्त स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन के लिए इच्छुक विधि सम्मत पंजीकृत स्वयंसेवी/शिक्षण संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्रस्तावित अनुदानित छात्रावासों के स्थानों का विवरण एवं विज्ञाप्ति के संबंध में अन्य विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालित करने की आवश्यक अहर्ताओं, शर्तों व प्रक्रियाओं का विवरण व आवेदन-प्रपत्र विभागीय वेबसाइट <https://minority.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र मय वांछित दस्तावेज संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में ही अंतिम तिथि दिनांक 30.06.2022 तक जमा कराये जा सकते हैं। विभाग द्वारा आवश्यकता आंकलन के पश्चात आवश्यक होने पर ही अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन हेतु स्वीकृति जारी की जायेगी।


(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज०, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com

दूरभाष न.:0141-2711978, 2711938

क्रमांक: प. 135 / नि.अ.मा.वि. / छात्रा. संचा. / 2022-23 / 3624

जयपुर, दिनांक: 13/06/22

विज्ञप्ति

छात्रावासों के संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रण

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 की अवधि में प्रदेश के जिला मुख्यालयों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स के निम्न स्थानों पर बालक-बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन के लिए इच्छुक विधि सम्मत पंजीकृत स्वयंसेवी/शिक्षण संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालित करने की आवश्यक अहर्ताओं, शर्तों व प्रक्रियाओं का विवरण व आवेदन-प्रपत्र विभागीय वेबसाइट <https://minority.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र मय वांछित दस्तावेज संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में ही अंतिम तिथि दिनांक 30.06.2022 तक जमा कराये। सीधे निदेशालय में किये गये आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विभाग द्वारा आवश्यकता आंकलन के पश्चात आवश्यक होने पर ही अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन हेतु स्वीकृति जारी की जायेगी। जिला मुख्यालयों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स का विवरण निम्नानुसार है:-

- जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास:-** मु0 अजमेर, मु0 बांसवाडा, मु0 बारां, मु0 भरतपुर, मु0 भीलवाडा, मु0 बूंदी, मु0 चित्तौड़गढ़, मु0 दौसा, मु0 झूंगरपुर, मु0 हनुमानगढ़, मु0 जैसलमेर, मु0 जालौर, मु0 झालावाड़, मु0 करौली, मु0 प्रतापगढ़, मु0 राजसमन्द, मु0 सीकर, मु0 सिरोही, मु0 उदयपुर।
- जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास:-** मु0 बांसवाडा, मु0 बारां, मु0 भरतपुर, मु0 बीकानेर, मु0 बूंदी, मु0 चित्तौड़गढ़, मु0 चुरू, मु0 धौलपुर, मु0 झूंगरपुर, मु0 हनुमानगढ़, मु0 जैसलमेर, मु0 जालौर, मु0 झालावाड़, मु0 झुंझुनूं, मु0 करौली, मु0 पाली, मु0 प्रतापगढ़, मु0 राजसमन्द, मु0 सवाई माधोपुर, मु0 सीकर, मु0 सिरोही, मु0 श्रीगंगानगर, मु0 टोंक, मु0 उदयपुर।
- अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास:-** रामसर (बाड़मेर), खाजूवाला (बीकानेर), छत्तरगढ़ (बीकानेर), सुजानगढ़ (चुरू), संगरिया (हनुमानगढ़), टिब्बी (हनुमानगढ़), मोहनगढ़ (जैसलमेर), नाचना (जैसलमेर), फतेहगढ़ (जैसलमेर), करणपुर (श्रीगंगानगर), साहदुलशहर (श्रीगंगानगर), पदमपुर (श्रीगंगानगर), घड़साना (श्रीगंगानगर), विजयनगर (श्रीगंगानगर)।
- अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक पर अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास:-** रामसर (बाड़मेर), पहाड़ी (भरतपुर), खाजूवाला (बीकानेर), छत्तरगढ़ (बीकानेर), सुजानगढ़ (चुरू), संगरिया (हनुमानगढ़), टिब्बी (हनुमानगढ़), पोकरण (जैसलमेर), लाडनूं (नागौर), फतेहपुर (सीकर), करणपुर (श्रीगंगानगर), साहदुलशहर (श्रीगंगानगर), पदमपुर (श्रीगंगानगर), रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर), अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर), विजयनगर (श्रीगंगानगर)।

स्वयंसेवी संस्था द्वारा अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय ही धरोहर राशि (राशि रूपये 30,000/-) की डी.डी. जमा करायी जायेगी। यदि अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्था को स्वीकृति निदेशालय द्वारा प्रदान कर दी जाती है और स्वीकृति उपरान्त स्वयंसेवी संस्था छात्रावास संचालन हेतु M.O.U. नहीं करती है या M.O.U. करने के पश्चात छात्रावास संचालन नहीं करती है, दोनों ही स्थितियों में स्वयंसेवी संस्था द्वारा जमा धरोहर राशि (राशि रूपये 30,000/-) जब्त कर ली जायेगी।

निर्धारित प्रक्रिया के तहत चयनित स्वयंसेवी/शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन के लिए सत्र 2022-23 की अवधि हेतु अस्थाई स्वीकृति प्रदान की जावेगी। चयनित संस्थाएं यदि अल्पसंख्यक छात्रावासों का संचालन संतोषप्रद रूप से नहीं कर पायेंगी, तो उनको छात्रावास संचालन के लिए जारी की गई स्वीकृति 15 दिवस की अवधि का नोटिस देकर निरस्त कर दी जावेगी। संस्थाओं को निर्धारित विभागीय मापदण्डों, अहर्ताओं, शर्तों व नियमों के अनुसार भौतिक सत्यापन के पश्चात योग्य पाये जाने पर ही स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।


(ज्योति अहमद कुरैशी)
निदेशक

राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात विभाग
अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास की मान्यता (पंजीकरण) एवं अनुदान प्रस्ताव के लिए आवेदन पत्र

1	स्वैच्छिक अभिकरण संस्था का नाम (पूरा डाक पता व दूरभाष क्रमांक सहित)	
2	(अ) स्वैच्छिक अभिकरण का पंजीयन क्रमांक (ब) स्वैच्छिक अभिकरण की स्थापना का दिनांक	
3	क्या संस्था— (अ) सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत है? (ब) राजस्थान संस्थाएँ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तागत पंजीकृत है? (स) अन्य कोई संगठन से पंजीकृत है?	
4	संस्था का संक्षिप्त विवरण तथा गतिविधियों का गत तीन वर्षों का विवरण।	
5	प्रस्तावित स्थान जहाँ संस्था अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन करना चाहती है।	
6	संस्था द्वारा कितने जिलों में कितने स्थानों पर छात्रावास संचालन हेतु आवेदन किया जा रहा है? (यदि संस्था द्वारा एक से अधिक जिलों/ब्लॉकों में छात्रावास संचालन हेतु आवेदन किया जा रहा है तो संस्था के पास मैन पावर तथा संसाधन उपलब्ध होने चाहिए तथा संस्था द्वारा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से छात्रावास संचालन करने का अनुभव 3 वर्ष से अधिक होना चाहिए।)	
7	भवन की अवरिधि (लोकेशन)(भवन की अवरिधि उपयुक्त स्थान पर हो, जहाँ से आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो।)	
8	संस्था का कार्यालय क्या स्वयं/किराये के भवन में संचालित है?	
9	प्रस्तावित अल्पसंख्यक छात्रावास हेतु स्वयं/किराये/ राजकीय विद्यालय का भवन होगा? *	
10	क्या वर्तमान में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु कोई कार्यक्रम, छात्रावास संचालन सहित, चलाया जा रहा है अथवा चलाया गया? पूर्ण विवरण देवे।	
11	अल्प संख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु जो अनुदानित छात्रावास प्रस्तावित है, उस वर्ग के प्रस्तावित छात्र/छात्राओं की संख्या? (अनुमानित)	
12	क्या अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन में संस्था को किसी गैर सरकारी स्त्रोतों या जन प्रतिनिधि से सहायता मिलने की संभावना है?	
13	क्या अल्पसंख्यक छात्रावास योजना की क्रियान्विति हेतु कुशल कर्मचारी एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो बिन्दुवार पूर्ण विवरण दें।	

<p>14 संस्था द्वारा प्रस्तावित भवन की स्थिति (भवन का नजरी नक्शा, प्रत्येक कमरे, प्रत्येक शौचालय एवं स्नानघर की फोटो एवं संपूर्ण भवन की फोटो, आवेदन पत्र के साथ जिला कार्यालय में प्रस्तुत करें।)</p> <p>1. प्रस्तावित छात्रावास भवन में 50 विद्यार्थियों हेतु 2000 वर्ग फीट तक आवास हेतु स्थान होना चाहिए।</p> <p>2. रसोईघर (रसोई में गैस चूल्हा रखने का स्थान, बर्तन रखने का स्थान हो तथा रसोई कक्ष हवादार होना चाहिए)। रसोईघर मध्य स्टोर (रसोईघर में खाद्य व अन्य सामग्री हेतु स्टोर अथवा पर्याप्त स्थान का प्रावधान हो। रसोईघर में जल निकास की उचित व्यवस्था हो।)</p> <p>3. राशन स्टोर कक्ष (संख्या) एवं रसोईयों की संख्या</p> <p>4. भोजन कक्ष / अतिरिक्त कक्ष (छात्रावासियों हेतु उपयुक्त स्थान हों, जहां हाथ धोने आदि की उचित व्यवस्था हो।)</p> <p>5. वार्डन कार्यालय एवं आवास कक्ष (कार्यालय एवं मिलने का स्थान तथा कार्यालय कक्ष में ही विद्यार्थियों से मिलने आने वाले लोगों के लिए स्थान हो तथा विजिटर रजिस्टर का संधारण किया जावें। वार्डन के रहने हेतु आवास की सुविधा हो।)</p> <p>6. सुरक्षाकर्मी आवास एवं सुरक्षाकर्मियों की संख्या (संस्था द्वारा अनडरटेकिंग)</p> <p>7. स्नानघरों की संख्या 50 बैडेड छात्रावास हेतु स्नानघरों की संख्या 6 होनी चाहिए।</p> <p>8. शौचालयों की संख्या 50 बैडेड छात्रावास हेतु शौचालयों की संख्या 6 होनी चाहिए।</p> <p>9. चारदीवारी है अथवा नहीं</p> <p>10. विजली व्यवस्था उपयुक्त है अथवा नहीं</p> <p>11. पानी की व्यवस्था (पर्याप्त / अपर्याप्त) नल / हैण्डपम्प / टांका / टैकर</p> <p>12. खेलकूद एवं मनोरंजन का साधन हेतु स्थान</p> <p>13. पुस्तकालय</p> <p>14. भवन परिसर की स्थिति एवं खाद्य रखाव</p> <p>15. छात्रावास हेतु वार्डन की व्यवस्था (संस्था द्वारा अनडरटेकिंग)</p> <p>16. छात्रावास भवन में सुरक्षा मापदण्ड यथा अग्नि, निकासी के द्वार, इनेज सिस्टम संबंधी व्यवस्था का विवरण</p> <p>17. अन्य विवरण</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">कमरों की संख्या</th> <th style="padding: 5px;">साईंज</th> <th style="padding: 5px;">प्रत्येक कमरे में आवासित होने वाले बच्चों की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 40px; text-align: right;">कुल</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	कमरों की संख्या	साईंज	प्रत्येक कमरे में आवासित होने वाले बच्चों की संख्या																						कुल		
कमरों की संख्या	साईंज	प्रत्येक कमरे में आवासित होने वाले बच्चों की संख्या																										
कुल																												

15	<p>संलग्न प्रमाणित प्रपत्रों/दस्तावेजों की सूची:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संस्था द्वारा स्वयं सत्यापन का शपथ-पत्र (स्वयं सत्यापन शपथ-पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है)। 2. संस्था का प्रमाणित पंजीकरण प्रमाण-पत्र। 3. संस्था का प्रमाणित विधान की प्रति। 4. नियंत्रण मण्डल, प्रबन्धक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों-का चयन दिनांक सहित विवरण (रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित) की प्रमाणित प्रतिलिपि। 5. चार्टड अकाउण्टेंट द्वारा सत्यापित संस्था के गत तीन वर्षों की बैलेंस शीट की सत्यापित प्रतियाँ। 6. चार्टड अकाउण्टेंट द्वारा सत्यापित आयकर देय संबंधी तीन वर्षों के आयकर रिटर्न्स मय कम्प्युटेशन संबंधी दस्तावेज की सत्यापित प्रतियाँ। 7. संस्था का गत तीन वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन। 8. संस्था के स्वयं/किराये के भवन के सम्पूर्ण दस्तावेज (संस्था का स्वयं का भवन है तो भवन के मालिकाना हक सम्बन्धी समस्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियाँ/यदि किराये का भवन है तो भी भवन मालिक के मालिकाना हक सम्बन्धी समस्त दस्तावेज, रेन्ट डीड आदि के दस्तावेज), भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र सहित, की प्रमाणित प्रतियाँ। 9. अतिरिक्त पत्रों/सूचनाओं की सूची आदि कोई हो तो उल्लेख करें:-
----	--

* सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालयों में शिक्षा विभाग के रिक्त विद्यालय परिसर, (भवनों) की जिलेवार सूची उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जिला वक्फ कमेटी के इन्तजामिया की उपलब्ध खाली भवनों तथा शिक्षा विभाग के खाली/अनुपयोगी छात्रावास भवनों की जानकारी भी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालयों में उपलब्ध है। निजी इच्छुक स्वयं सेवी/शिक्षण संस्थाएँ संबंधित जिला कार्यालयों में समर्पक कर उनसे प्रस्तावित जिला/ब्लॉक में अल्पसंख्यक छात्रावास संचालित करने के लिए रिक्त विद्यालय परिसर, (भवन)/जिला वक्फ कमेटी के इन्तजामिया की उपलब्ध खाली भवन/शिक्षा विभाग के खाली/अनुपयोगी छात्रावास भवनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यदि उनके द्वारा प्रस्तावित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन के लिए संबंधित जिला मुख्यालय/ब्लॉक में उक्त प्रकार के रिक्त परिसर, (भवन) उपलब्ध एवं छात्रावास संचालन हेतु उपयुक्त (Suitable) हुआ तो संबंधित संस्था उस रिक्त परिसर (भवन) को छात्रावास संचालन के लिए आवेदन प्रपत्र के बिन्दु संख्या – 07 में प्रस्तावित कर सकती है।

सचिव
(स्वयं सेवी संस्था)

कोषाध्यक्ष
(स्वयं सेवी संस्था)

अध्यक्ष
(स्वयं सेवी संस्था)

संस्था द्वारा अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास के संचालन हेतु प्रस्ताव के लिए आवेदन प्रपत्र के साथ
स्वयं सत्यापन का शपथ—पत्र

मैं(नाम).....पिता/पति का नाम श्रीपद.....उम्र.....जाति.....
निवासी.....सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि

संस्था द्वारा प्रस्तावित भवन के संबंध मे निम्न तथ्य सत्य है—

1. संस्था द्वारा कुल.....जिलों/ब्लॉकों मे अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन हेतु आवेदन किया गया है।
2. संस्था को पूर्व मे छात्रावास संचालन का अनुमति.....वर्ष है।
3. प्रस्तावित छात्रावास भवन बेसमेन्ट मे नहीं है।
4. आवेदन पत्र के साथ सलग्न किये गये समस्त दस्तावेज सत्य है।

शपथ ग्रहिता के हस्ताक्षर मय सील

सत्यापन

मैं(नाम).....सशपथ.....घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त बिन्दुओं की सूचना मेरी निजी जानकारी के अनुसार सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करें।

✓
शपथ ग्रहिता के हस्ताक्षर मय सील